वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला राजस्व शाखा)

❖ अल्पकालीन निविदा सूचना

वैशाली जिलान्तर्गत सभी 16 अंचल कार्यालयों / राजस्व हल्का कार्यालयों में उपलब्ध सभी जमाबंदी पंजी–2 एवं सर्वे खतियान के पन्नों का स्कैनिंग कराकर ऑनलाईन प्रकाशन एवं उसका राजस्व ग्रामवार बाईंडिंग कराये जाने से संबंधित कार्य करने हेतु दर निर्धारण के लिए समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा योग्य फर्मों से द्विलिफाफा पद्धति के तहत तकनीकि एवं वित्तीय निविदा मुहरबंद लिफिफा में आमंत्रित किया जाता है। निविदा निम्नलिखित प्रकार के कार्य के लिए है:–

1. जमाबंदी पंजी–2 एवं सर्वे खतियान का स्कैनिंग (राजस्व ग्रामवार)।
2. स्कैनिंग के पश्चात् ऑन लाईन प्रकाशन
3. स्कैनिंग के पश्चात् सर्वे खतियान का A-3 साईज पेज में एवं जमाबंदी पंजी–2 का FS साईज पेज में चार–चार प्रतियों में हार्ड कॉपी सी0डी0 सहित तैयार किया जाना। हार्ड कॉपी का राजस्व ग्रामवार अच्छी तरह बाईंडिंग करना है, जिसका कवर कपड़ा कौटेड कूटनुमा होना चाहिए।

योग्य फर्म जो अधोलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। सीलबंद लिफाफा में एक तकनीकि तथा दूसरी वित्तीय निविदा जिला राजस्व शाखा, वैशाली में दिनांक 10.4.15 को अपराह्न 3.00 बजे तक दे सकते हैं। प्राप्त सभी निविदाएं दिनांक .... को अपराह्न 4.00 बजे में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। जिसमें संबंधित निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। तकनीकि निविदा के सफल होने पर वित्तीय निविदा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी प्रत्येक कार्य दिवस में जिला राजस्व शाखा, वैशाली से अथवा दूरभाष सं0– 06224–272319 पर भी प्राप्त की जा सकती है तथा वेबसाईट http://vaishali.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

➢ (क) तकनीकि निविदा की शर्तें:–

1. निविदादाता फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT) एवं सेवाकर का निबंधित होने का प्रमाण–पत्र तथा वाणिजय कर एवं सेवाकर जमा करने की अद्यतन विवरणी संलग्न करनी होगी।
2. फर्म को पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति के साथ अद्यतन आयकर विवरणी संलग्न करना होगा एवं एक वित्तीय वर्ष का निम्नतम Turn over मो0 25,00,000 / –(पचीस लाख) रूपये की शर्त सहित विगत तीन वर्षों का (वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14) Turn over का Audit Report/बैलेंस शीट संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ प्रतिभूमि राशि के रूप में मो0 25,000 / –(पचीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी, वैशाली के पक्ष में भुगतेय हो या इतनी ही राशि का जिला नजारत शाखा, वैशाली द्वारा निर्गत नाजिर रसीद संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता फर्म को इस कार्य हेतु सक्षम तकनीकि कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी, नाम, योग्यता एवं अनुभव के साथ देना होगा।
5. निविदादाता को तकनीकि क्षमता एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण यथा–कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, डिजिटल प्रिंटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या, कर्मियों की संख्या, जेनरेटर, स्कैनिंग एवं प्रिंट आउट निकालने की क्षमता आदि का विवरण अंकित करना होगा। निविदा में अंकित विवरणी के अनुरूप संसाधन नहीं पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

6. निविदादाता को लेजर प्रिंटिंग हेतु Original Tonner तथा FS/A3 Size Century Paper का ही उपयोग करना होगा एवं ग्रामवार अच्छी तरह बाईंडिंग करना है, जिसका कवर कपड़ा कौटेड कूटनुमा होना चाहिए से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।
7. स्कैनिंग, Book Scanner with a speed of 10 PPM के माध्यम से करने संबंधी घोषणा पत्र देना होगा।
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव / कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

➢ (ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. स्कैनिंग एवं हार्ड कॉपी का प्रति पृष्ठ दर संबंधित निविदादाता द्वारा दिया जायेगा।
1. निविदादाता द्वारा पंजी–2 एवं खतियान के पन्नों के हार्ड कॉपी का राजस्व ग्रामवार बाईंडिंग का दर 01–100, 101–200, 201–300, 301–400, 401–500 पन्नों के लिए अलग–अलग दिया जायेगा।
2. जमाबंदी पंजी–2 के प्रिंटिंग हेतु FS साईज एवं सर्वे खतियान के प्रिंटिंग हेतु A-3 Size Century Paper का उपयोग किया जायेगा।

➢ (ग) निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निविदा को बिना कारण बताये संशोधन करने, स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
2. चयनित एजेंसी को जो भी सरकारी कागजात यथा जमाबंदी पंजी–2, सर्वे खतियान आदि स्कैनिंग के लिए दी जायेगी उसके रख–रखाव की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, जब तक कि स्कैनिंग के पश्चात् मूल स्वरूप में पंजी एवं खतियान अंचल कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार को वापस नहीं कर दिया जाता है।
3. सभी कार्यों को समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाप्त करना अनिवार्य होगा।
4. किसी भी परिस्थिति में Sub-contracting स्वीकार नहीं होगा। इसकी जानकारी मिलने पर एकरारनामा रद्द करते हुए निबंधित फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी, से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।
5. निविदादाता को Book Scanner with a speed of 10 PPM का उपयोग कर स्कैनिंग का कार्य करना होगा एवं उक्त कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले जेनरेटर, यू0पी0एस0, सर्वर, कम्प्यूटर एवं क्लाईंट कम्प्यूटर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. Book Scanner with a speed of 10 PPM एवं अन्य किसी जानकारी हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, वैशाली से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
7. Book Scanner with a speed of 10 PPM का कार्य जिला मुख्यालय के सभी 16 अंचलों में संबंधित सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, वैशाली के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
8. आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य का स्थल परिवर्त्तन किया जा सकता है, जो निविदादाता को बिना अतिरिक्त भुगतान के मान्य होगा।
9. अस्थायी विद्युतीकरण हेतु जेनरेटर की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के खर्च पर रखना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. राजस्व विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यों के लिए समय सीमा पुनरीक्षित किया जा सकता है। तदनुसार निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य समाप्त करना होगा।
11. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/- (एक हजार) रूपये की कटौती निर्धारित विपत्र से की जायेगी। साथ ही अग्रधन की राशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
12. कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुए न्यूनतम दर पर कार्य वितरण एक से अधिक निविदादाता के बीच किया जा सकता है।
13. किसी भी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नहीं होगा। आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा। इस कारण भुगतान में विलम्ब होने पर कोई भी सूद की राशि देय नहीं होगी।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
15. कार्यावंटन से पूर्व जिला राजस्व शाखा, वैशाली द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर एकरारनामा करना होगा।
16. फर्म का चयन उनकी तकनीकि क्षमता, न्यूनतम दर एवं निगोशियेशन के आधार पर किया जायेगा।

समाहर्त्ता,
वैशाली।

ज्ञापांक :– 534 / जिला भू०सु०, दिनांक :– 25-3-15

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन निर्धारित तिथि के पूर्व तीन प्रमुख समाचार पत्रों में करवाने की कृपा करेंगे।

25.3.16

समाहर्त्ता,
वैशाली।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, वैशाली/अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर, महुआ एवं महनार/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हाजीपुर, महुआ एवं महनार/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, वैशाली/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, वैशाली/सभी अंचल अधिकारी, वैशाली जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अंचलों में जमाबंदी पंजी–2 की संख्या (पृष्ठों की संख्या के साथ) संबंधित हल्कावार प्रतिवेदन दिनांक 7-4-15 तक जिला राजस्व प्रशाखा, वैशाली में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं यह प्रमाण पत्र देंगे कि प्रतिवेदित तिथि तक सभी जमाबंदी पंजी की संख्या दर्ज कर दी गयी है।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला अभिलेखागार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश है कि राजस्व थानावार सर्वे खतियान की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 7-4-15 तक जिला राजस्व प्रशाखा, वैशाली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

28.3.16

समाहर्त्ता,
वैशाली।